संख्या-569/2023/3231/22-2-2023-17(797)/2023

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 12 सितम्बर, 2023

विषयः- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रीपाल पुत्र श्री रमचन्दी, निवासी जनपद-सम्भल की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-25522/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-08.08.2023) दिनांक-09.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रीपाल पुत्र श्री रमचन्दी, काशीपुर, थाना-गुन्नौर, जनपद-सम्भल का निवासी है। जमीनी रंजिश को लेकर दिनांक 30.11.2005 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचा व बन्दूक से गोली मारकर लोहा सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बंदी को (1) सत्र परीक्षण संख्या-1183/2006, 219/2007 में भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 302/149 व 25ए0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-01, बदायूँ के आदेश दिनांक 26.03.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (2) अ0सं0-179/2006 में धारा-2/3 जी0 एक्ट में मा0 न्या0 स्पेशल जज/ए0एस0जे0-5, बदायूँ के आदेश दिनांक 10.05.2013 द्वारा 10 वर्ष कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.07.2022 तक 15 वर्ष, 08 माह, 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष, 01 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, सम्भल द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन है यदि बन्दी को समयपूर्व रिहाई पर छोड़ दिया जाता है तो पुनः किसी प्रकार से अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है जिला मजिस्ट्रेट, सम्भल द्वारा पुलिस अधीक्षक की आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने जमीनी रंजिश को लेकर दिनांक 30.11.2005 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चा व बन्दूक से गोली मारकर लोहा सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरित संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी श्रीपाल पुत्र श्री रमचन्दी को फार्म- ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रीपाल (बंदी संख्या-45900) पुत्र श्री रमचन्दी, निवासी जनपद-सम्भल के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-569/2023/3231 (1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सम्भल।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) संख्या-164/2022 राजेन्द्र व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2022 एवं अवमाननावाद सं0-854/2023 राम नारायन व अन्य बनाम श्री संजय प्रसाद व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.07.2023 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-569/2023/3231/22-2-2023-17(797)/2023

दिनांक 12 सितम्बर, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रीपाल पुत्र श्री रमचन्दी, काशीपुर, थाना-गुन्नौर, जनपद-सम्भल का निवासी है। जमीनी रंजिश को लेकर दिनांक 30.11.2005 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचा व बन्दूक से गोली मारकर लोहा सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बंदी को (1) सत्र परीक्षण संख्या-1183/2006, 219/2007 में भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 302/149 व 25ए0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-01, बदायूँ के आदेश दिनांक 26.03.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (2) अ0सं0-179/2006 में धारा-2/3 जी0 एक्ट में मा0 न्या0 स्पेशल जज/ए0एस0जे0-5, बदायूँ के आदेश दिनांक 10.05.2013 द्वारा 10 वर्ष कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.07.2022 तक 15 वर्ष, 08 माह, 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष, 01 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, सम्भल द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन है यदि बन्दी को समयपूर्व रिहाई पर छोड़ दिया जाता है तो पुनः किसी प्रकार से अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है जिला मजिस्ट्रेट, सम्भल द्वारा पुलिस अधीक्षक की आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने जमीनी रंजिश को लेकर दिनांक 30.11.2005 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चा व बन्दूक से गोली मारकर लोहा सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरित संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी श्रीपाल पुत्र श्री रमचन्दी को फार्म- ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।